न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 222/2006 (संलग्न वाद संख्या 304/2006)
GCMS NO. 2014/00250

मोहन लाल पुत्र फत्ताराम जाति छींपी दर्जी निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.) **(मृतक)**

1/1. सरोज देवी पत्नी स्व. मोहनलाल उम्र 60 वर्ष
1/2. पूर्णमल पुत्र स्व. मोहनलाल उम्र 30 वर्ष
1/3. राजेश पुत्र स्व. मोहनलाल उम्र 22 वर्ष
1/4. रवि प्रकाश पुत्र स्व. मोहनलाल उम्र 18 वर्ष
समस्त जाति दर्जी निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
1/5. सुनिता पुत्री स्व. मोहनलाल उम्र 27 वर्ष पत्नी मनोज कुमार निवासी पौदार गेट नवलगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
1/6. सुमन पुत्री स्व. मोहनलाल उम्र 25 वर्ष पत्नी सुनील कुमार
1/7. ममता पुत्री स्व. मोहनलाल उम्र 21 वर्ष पत्नी गोविन्द सिंह जाति दर्जी निवासी खेड़ली तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0

............वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र गणपत
2. बाबूलाल पुत्र गणपत
3. रामनिवास पुत्र गणपत
4. राधेश्याम पुत्र गणपत

जाति छींपी दर्जी निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री रामनरेशसिंह सैनी	अभिभाषक	वादी/वादीगण
2. श्री गिरधारी लाल सैनी	अभिभाषक	प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4
3. श्री ख्यालीराम सैनी	अभिभाषक	प्रतिवादी सं. 5/2 से 5/5

दावा – स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955

–: निर्णय :– **दिनांक :–08–12–2022**

वादी की ओर से इस इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया कि :–

1. यह कि वादी ग्राम माधोगढ़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 475 रकबा 1.20 हैक्टर का एंकाकी काबिज काश्त खातेदार है और शान्ति पूर्वक काबिज काश्त करता आ रहा है।

2. यह कि वादी ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि ... मुख्य सड़क की तरफ पशु व चारा रखने हेतु एक नोहरा ... इस उपयोग में लेता आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:43:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

3. यह कि वादी के पास अब आवास की जगह की कमी होने से इसी स्थान पर आवास हेतु व नोहरा हेतु 27x27=729 वर्गगज में पुख्ता दीवार लगा रहा है जो करीब ढाई तीन फुट ऊंची बनाली है जिसके एक हिस्से में आवास हेतु मकान तथा एक हिस्से में पशु व चारा हेतु नोहरा बनाना चाहता है।

4. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण की तथा उनके चाचा छोटूराम वगैरह उक्त भूमि तथा अन्य भूमि कुआ दुलावावाली शामलाती थी लेकिन इसका विभाजन वादीगण, प्रतिवादीगण के पिता तथा छोटूराम ने अपने जीवनकाल में ही 40 वर्ष पहले कर लिया था तथा अलग अलग खाते रिकार्ड में बन गये थे जिसमें प्रतिवादीगण से परेशान होकर छोटूराम ने अपनी समस्त भूमि को विक्रय कर दी तथा प्रतिवादीगण ने भी अपनी भूमि विक्रय कर दी।

5. यह कि वादी तथा उसके चाचा छोटूराम के खिलाफ प्रतिवादीगण ने एक झूठा दावा इस भूमि व इसके साथ की कुआ दुलावावाली भूमि हेतु घोशणात्मक व खाता विभाजन हेतु दिनांक 25.07.91 को किया था जो झूठा होने से नोट प्रेस में प्रतिवादीगण ने दिनांक 12.6.93 को खारिज करवा लिया था।

6. यह कि वादी से प्रतिवादीगण तब से ही भारी रंजिश रखते आ रहे है और वादी अकेला होने के कारण उसको प्रतिवादीगण हर तरह से हैरान व परेशान करते आ रहे है। जिसके पेटे वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पहले भी मुकदमेंवाजी चल चुके है।

7. यह कि वादी करीब 15 रोज पहले अपने खेत के इस निर्माणाधीन जगह में सुवह 8 बजे सफाई कार्य कर रहा था तो सभी प्रतिवादीगण उनके पुत्र व औरते हाथों में लाठी लेकर आये और गाली गलोच करने लगे। और वादी के साथ हाथा पाई करने लगे और धमकी दी कि हम इस पर जबरन कब्जा करेगें। सड़क से आते जाते आदमियों ने इनको समझाया तो यह चले गये। इस प्रकार वादी को प्रतिवादीगण द्वारा उसकी खातेदारी भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देने से वाद हैतुक पैदा हुआ है और यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

8. यह कि वादी की उक्त खातेदारी भूमि में वादी द्वारा निर्माण किये जा रहे आवास व नोहरे की भूमि पर यदि प्रतिवादीगण बलपूर्वक जबरन अतिक्रमण कर लेते है तो वादी को ऐसी आर्थिक मानसिक तथा कानूनी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नही किया जा सकता तथा न ही पूर्ति किया जाना सम्भव है।

9. यह कि वाद वर्णित भूमि न्यायालय श्रीमान्जी की सीमा में ग्राम माधोगढ़ में स्थित होने से यह वाद न्यायालय श्रीमान्जी को सुनने का क्षेत्राधिकार है।

10. यह कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के क्रमांक 23 सी अनुसार वाद अन्दर मियाद पेश है।

11. यह कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के क्रमांक 23 सी के अनुसार वाद 1.00 रूपये कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(क) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा ... फरमाया जावे कि वह वादी की ग्राम माधोगढ़ स्थित भूमि खसरा 475 ... में वादी द्वारा बनाये जा रहे आवास व नोहरा की भूमि ... किसी भी भाग हिस्से व अंश पर बलपूर्वक जबरन किसी प्रकार से दखल, हस्तक्षेप ना करे तथा ना ही कब्जा आदि करें। ऐसा कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे तथा न ही अपने परिवारजन मित्रों, रिश्तेदारों व अन्य किसी से ना करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

(ख) कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे खर्चा दावा दिलाया जावे।

(ग) कि अन्य न्यायसंगत अनुतोष जो वाद में आयाचित रह गया हो, न्यायालय उचित समझे वह वादी को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 01–02–2007 को जरिये अधिवक्ता वादी के वाद का खण्डन स्वरूप जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया।

दिनांक 02.06.2010 को उभय पक्षकारान के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इसी वाद से संबंधित एक अन्य वाद मोहनलाल बनाम सत्यनारायण वगै0 (304/2006) विचाराधीन है। उक्त दोनों वादो के साबिक खसरा नम्बर 427 है जिससे हाल खसरा नम्बर 475 व 476 बने है। अतः इन दावो को संकलित कर दिया जावे। उभय पक्षकारान के निवेदन पर वाद संख्या 304/2006 को इस वाद के साथ संकलित किया जाकर उक्त वाद में आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 11.05.2022 को इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि वाद संख्या 222/2006 व संलग्न वाद संख्या 304/2006 में पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर व गांव के मुखिया लोगों के समझाने से आपस में राजीनामा कर लिया है। अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। इसलिये प्रतिवादीगण अपने प्रतिदावा को विड्रो करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को उक्त दोनों दावों में प्रतिदावा विड्रो किये जाने की अनुमति दिये जाने की कृपा करें।

मुकदमा नम्बर :– 304/2006 (संलग्न वाद संख्या 222/2006)

मोहन लाल पुत्र फत्ताराम जाति छींपी दर्जी निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.) (मृतक)

1/1. सरोज देवी पत्नी स्व. मोहनलाल उम्र 60 वर्ष
1/2. पूर्णमल पुत्र स्व. मोहनलाल उम्र 30 वर्ष
1/3. राजेश पुत्र स्व. मोहनलाल उम्र 22 वर्ष
1/4. रवि प्रकाश पुत्र स्व. मोहनलाल उम्र 18 वर्ष
समस्त जाति दर्जी निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
1/5. सुनिता पुत्री स्व. मोहनलाल उम्र 27 वर्ष पत्नी मनोज कुमार निवासी पौदार गेट नवलगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
1/6. सुमन पुत्री स्व. मोहनलाल उम्र 25 वर्ष पत्नी सुनील कुमार
1/7. ममता पुत्री स्व. मोहनलाल उम्र 21 वर्ष पत्नी गोविन्द सिंह जाति दर्जी निवासी खेड़ली तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0

.....वादीगण

वनाम

1. सत्यनारायण पुत्र गणपत
2. बाबूलाल पुत्र गणपत
3. रामनिवास पुत्र गणपत
4. राधेश्याम पुत्र गणपत
जाति छींपी दर्जी निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
5. छोटूराम पुत्र देवाराम (मृतक)
5/1. द्रोपति पत्नी छोटूराम (मृतक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

5/2. महेन्द्र कुमार पुत्र छोटूराम उम्र 40 वर्ष
5/3. सुशील कुमार पुत्र छोटूराम उम्र 28 वर्ष
जाति छींपी दर्जी निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
5/4. मनोहरी देवी पुत्री छोटूराम पत्नी प्रमातीलाल उम्र 36 वर्ष
5/5. ज्ञाना देवी पुत्री छोटूराम पत्नी लालचन्द उम्र 25 वर्ष
जाति दर्जी निवासी हाल मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री रामनरेशसिंह सैनी	अभिभाषक	वादी/वादीगण
2. श्री गिरधारी लाल सैनी	अभिभाषक	प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4
3. श्री ख्यालीराम सैनी	अभिभाषक	प्रतिवादी सं. 5/2 से 5/5

दावा – घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955

–: निर्णय :– **दिनांक :–08–12–2022**

वादी की ओर से इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया कि :–

1. यह कि वादी ग्राम माधोगढ़ स्थित भूमि ख.नं. 476 रकबा 0.16 हैक्टर लगानी 0.67 रूपये का एंकाकी काबिज काश्तकार है। जो उसे उसके पिता स्व. फत्ता पुत्र देवा से उत्तराधिकार में मिली है।

2. यह कि ग्राम माधोगढ़ स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2059 लगायत 2062 के खाता संख्या 55 खसरा नं. 476 रकबा 0.16 हैक्टर रिकार्ड राजस्व में वादी 1/3 भाग, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 1/3 भाग, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/3 भाग दर्ज है जो गलत रूप से दर्ज हो गया।

3. यह कि ग्राम माधोगढ़ स्थित ख.नं. 476 रकबा 0.16 हैक्टर गत ख.नं. 426, 427 से बना है जिसके खातेदार वादी के स्व. पिता फत्ता पुत्र देवा थे।

4. यह कि वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के पिता व प्रतिवादी सं. 5 स्वयं ने सम्वत् 2002 में काश्त पर लेकर कुआ दुलावावाला ख.नं. 424 की जाव की भूमि खं.नं. 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 1032/425 काश्त करते थे जो जगु पुत्र हनुता व जीणा पुत्र रामसुख गुर्जर माधोगढ़ की खातेदारी में थी और वादी के पिता फत्ता, प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता गणपत प्रतिवादी सं. 5 उसके उप कृषक थे। इस कारण उक्त भूमि राज. टेनेन्सी एक्ट सम्वत 2012 (सन् 1955) में प्रभाव में आने पर उसके खातेदार हो गये। जिसमें गत ख.नं. 427 वादी का पिता अकेला काश्त करता था। जिसका रिकार्ड में अकेले के नाम अंकन होता था।

5. यह कि वादीगण के पिता फत्ता, प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के पिता गणपत तथा प्रतिवादी सं. 5 ने अपनी इस भूमि का [illegible] में बाहमी बंटवारा कर अलग अलग काबिज को गये इस बंटवारे के अ[illegible] ख.नं. 423, 426, 427, वादी के पिता फत्ता के हिस्से व कब्जे में [illegible] ख.नं. 422 व 425 प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के पित[illegible] कब्जे काश्त में रहे तथा गत ख.नं. 420, 421, 1032/425 प्रतिवादी सं. 5 के हिस्से व कब्जे काश्त में रहे तथा गत ख. नं. 424 में सिंचाई के लिए स्थित चाह दुलाव[illegible]ला तीनों का शामलाती रहा जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

अपनी इस भूमि की सिंचाई करते आ रहे थे। और उसके बाद बंटवारे के अनुसार अलग खाते रिकार्ड राजस्व में खाते बन गये।

6. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण की इस भूमि के अलावा गत ख.नं. 513 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा खेत की और भूमि थी जो तीनों की बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3 थी।

7. यह कि वादी का पिता गत ख.नं. 427 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा का सम्वत् 2012 लगायत 2019 में एंकाकी उप कृषक था तथा जमाबन्दी सम्वत् 2012, 2014 में भी एंकाकी उप कृषक था और वादी के पिता को इस भूमि में सम्वत् 2012 में ही एंकाकी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। इस ख.नं. 427 को रड़ीवाला खेत के नाम से जानते थे।

8. यह कि वादी के इस खेत की खातेदारी सहवन से शामलाती गत ख.नं. 513 के खेत की खातेदारी के साथ शामिल कर वादी के पिता के अलावा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के पिता तथा प्रतिवादी सं. 5 के नाम से गलती से दर्ज हो गई, जबकि उनका इस खसरा नम्बर की भूमि से कोई लेना देना नहीं है।

9. यह कि वादीगण के पिता तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के पिता गणपत तथा प्रतिवादी सं. 5 को रिकार्ड की इस भूल का पता चला तो, प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के पिता तथा प्रतिवादी सं. 5 ने वादी के पिता की बही में समझोता कर मिति भादावा दूजासुदी 9 सम्वत् 2031 में लिखकर दिया कि रड़ी की जमीन का 2/3 हिस्सा फत्ता की रहेगी, 1/3 हिस्सा छोटू की रहेगी। इसके अनुसार काश्त खातेदारी रहेगी। जिसके अनुसार ख.नं. 427 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2034 में वादी के पिता व प्रतिवादी सं. 5 के हुई।

10. यह कि हाल सेटलमेन्ट में गत ख.नं. 427 की भूमि को मिलाकर नवीन खसरा नं. 475, 476, 478 बने है हाल ख.नं. 475 (गत ख.न. 423, 426, 427) का वादी एंकाकी खातेदार है। हाल ख.नं. 476 (गत खन. 426, 427) तथा हाल ख.नं. 478 (गत ख.नं. 420, 421, 427) से बने है। जिसमें ख.नं. 475 का वादी एंकाकी खातेदार है तथा ख. नं. 476 वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम भूल से दर्ज हो गई जबकि यह ख.नं. वादी की सेटलमेन्ट से पहले की पुरानी खातेदारी कब्जा शुदा भूमि से बना है तथा हाल ख.नं. 478 प्रतिवादी सं. 5 के खातेदारी में था जो गत ख.नं. 420, 421, 427 से बना है जिसमें गत ख.नं. 427 का 1/3 हिस्सा की करीब 0.16 हैक्टर भूमि शामिल कर बनाया गया है।

11. यह कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 ने एक वाद पत्र सं. 199/91 उनवानी सत्यनारायण आदि बनाम छोटूराम आदि बाबत घोशणात्मक व खाता विभाजन गत ख.नं. 427 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में अपना 1/3 हिस्सा घोषित करवाने हेतु व खाता विभाजन हेतु दिनांक 25.7.91 को पेश किया था, जिसका वादी व प्रतिवादी सं. 5 द्वारा दिनांक 16.11.1993 को सही जवाब दावा पेश करने पर प्रतिवादीगण को यह मालूम हो गया कि हमने मिथ्या व गलत तथ्य बताकर झूठा दावा किया है इसलिए प्रतिवादीगण ने अपना उक्त वाद दिनांक 12.6.97 को नोट प्रेस कर खारिज करवा लिया। इसलिए प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 अब गत ख.नं. 427 तथा उससे मिलकर बने हाल ख.नं. 475, 476, 478 कोई दावा करने के तथा उस पर बलपूर्वक अतिक्रमण करने के किसी भी सूरत में [illegible] नही है।

12. यह कि वादी की खातेदारी भूमि ख.नं. 475 [illegible] एक साथ सटवा है वादी के पास आवास हेतु भूमि की कमी है जिसके [illegible] वादी ने अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 426, 427 में पुराना नोहरा बना रखा था उसी स्थान पर अब 27x27=729 वर्गगज के आवास व नोहरा के लिये करीब ढाई तीन फुट ऊंची चाहरदीवारी बनाई है जो हाल

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ख.नं. 475 व 476 दोनों में ही पड़ती है वादी की इस भूमि में प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण का प्रयास किया तब वादी ने ख.नं. 475 की बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.08.2006 को पेश किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की हुई है।

13. यह कि वादी की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ख.नं. 476 रकबा 0.16 हैक्टर में अब प्रतिवादीगण यह कहते हुये अतिक्रमण करने पर आमादा है कि इसमें हमारा 1/3 हिस्सा रिकार्ड पर दर्ज है। इसलिए तुम्हारे द्वारा बनाई गई 27x27=729 वर्गगज पर जबरन बल व लठ के बल पर कब्जा करेगें। यह रकबा ख.नं. 475 में न होकर ख.नं. 476 में है इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा वादी के लिये इस प्रकार की धमकी प्रतिवादीगण द्वारा 15 रोज पूर्व देने से वाद घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। जो अन्दर मियाद है।

14. यह कि वाद वर्णित भूमि ख.नं. 476 रकबा 0.16 है. के किसी भी भाग या अंश पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 जो संख्या में अधिक है बलपूर्वक अवैध रूप से कब्जा कर लेते है तो वादी को ऐसी आर्थिक, मानसिक व कानूनी क्षति होगी जिसका न तो मुद्रा में मुल्यांकन किया सकता तथा न ही किसी प्रकार की पूर्ति किया जाना संभव है।

15. यह कि वादवर्णित भूमि न्यायालय श्रीमान्जी के सीमा क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम माधोगढ़ में होने से यह वाद न्यायालय श्रीमान्जी को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

16. यह कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट अनुसार वाद अन्दर मियाद पेश है।

17. यह कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट अनुसार वाद 2 रूपये कोर्टफीस पर पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :-

(क) वादी को ग्राम माधोगढ़ स्थित भूमि ख.नं. 476 रकबा 0.16 हैक्टर का एंकाकी खातेदार काश्तकार घोशित किया जाकर वादी के नाम रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद कराया जाये।

(ख) प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वह वादी के एंकाकी खातेदारी व कब्जा काश्त के ख.नं. 476 रकबा 0.16 हैक्टर में अवैध रूप से लाठी के बल से जबरन घुसकर किसी प्रकार का दखल व हस्तक्षेप न करे तथा न ही उसके किसी भाग, अंश और नोहरे के परकोटे 27x27=729 वर्गगज पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न करे। ऐसा कृत्य न स्वयं करे तथा न ही अन्य किसी से ऐसा कृत्य करावें।

(ग) वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे खर्चा दावा दिलाया जावे।

(घ) अन्य न्याय संगत अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वह वादी को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या [illegible] दिनांक 15.01.2007 को जरिये अधिवक्ता वादी के वाद का खण्डन स्वरूप जवा[illegible] प्रतिदावा पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 5/2 से 5/5 [illegible] 2011 को जरिये अधिवक्ता इस आशय का इकबाली जवा[illegible] भूमि खसरा नम्बर 476 रकबा 0.16 हेक्टेयर अकेले वादी की है। हम प्रतिवादीगण का [illegible] लेना देना नहीं है। वाद वादी के हक

उपखण्ड अधिकारी, खतौली

Scanned with OKEN Scanner

में सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 476 रकबा 0.16 हेक्टेयर स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किये जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि हम सहमत है।

दिनांक 11.05.2022 को वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से इस आशय का राजीनामा पेश हुआ कि ग्राम माधोगढ़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 476 रकबा 0.16 हेक्टेयर वादीगण के पूर्वज मोहनलाल व फत्ताराम के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही, त्रुटि के कारण हम प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज हो गया जबकि इस भूमि से हमारा कोई संबंध सरोकार नहीं है उक्त सम्पूर्ण भूमि को वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने की हम प्रतिवादीगण सहमति देते है और हम प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया प्रतिदावा प्रत्याहरित करते है। राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि राजीनामा तस्दीक किया जाकर वादीगण द्वारा पेश वाद संख्या 304/2006 डिक्री किये जाने की कृपा करें। अतः प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी की ओर से निम्न साक्ष्य पेश की गई :–

1. (प्रदर्श–1) नकल जमाबन्दी संवत 2055–2058 खाता संख्या 219 ग्राम माधोगढ़।
2. (प्रदर्श–2) नकल मुकदमा नम्बर 199/91 की आदेशिकाओं की प्रति।
3. (प्रदर्श–3) नकल मुकदमा नम्बर 199/91 के वाद पत्र की प्रति।
4. (प्रदर्श–4) नकल मुकदमा नम्बर 199/91 के प्रतिवादीगण के जवाब दावा की प्रति।
5. (प्रदर्श–5) नकल नक्शा ट्रेस सन् 1979–80 प्रतिलिपि दिनांक 24.11.01ग्राम माधोगढ़।
6. (प्रदर्श–6) नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल प्रतिलिपि दिनांक 28.09.2006
7. (प्रदर्श–7) नकल जमाबन्दी संवत 2055–58 ग्राम माधोगढ़।
8. (प्रदर्श–8) नकल जमाबन्दी संवत 2012 खाता संख्या 20, 119 ग्राम माधोगढ़।
9. (प्रदर्श–9) नकल जमाबन्दी संवत 2014–17 ग्राम माधोगढ़।
10. (प्रदर्श–10) नकल जमाबन्दी संवत 2026–29 ग्राम माधोगढ़।
11. (प्रदर्श–11) नकल खसरा गिरदावरी संवत 2012–19 ग्राम माधोगढ़।
12. (प्रदर्श–12) नकल खसरा गिरदावरी संवत 2024–2030 ग्राम माधोगढ़।
13. (प्रदर्श–13) नकल खसरा गिरदावरी संवत 2031–34 ग्राम माधोगढ़।
14. (प्रदर्श–14ए) फोटो प्रति लिखावट बही
15. (पी.डब्लू.–1) मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी मोहनलाल का शपथ पत्र व जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी।
16. (पी.डब्लू.–2) मौखिक साक्ष्य में महेन्द्र गूर्जर का शपथ पत्र व जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी।
17. नकल जमाबन्दी संवत 2059–2062 खाता संख्या 55 ग्राम माधोगढ़।
18. नकल जमाबन्दी संवत 2059–2062 खाता संख्या 252 ग्राम माधोगढ़।

प्रतिवादीगण की ओर से निम्न साक्ष्य पेश की गई :–

1. (प्रदर्श–ए 1) नकल जमाबन्दी संवत 2012 खाता संख्या 12, 119 ग्राम माधोगढ़।
2. (प्रदर्श–ए 2) नकल जमाबन्दी संवत 2018–21 खाता संख्या 32, 40 ग्राम माधोगढ़।
3. (प्रदर्श–ए 3) नकल जमाबन्दी संवत 2026–2029 खाता संख्या 41,85 ग्राम माधोगढ़।
4. नकल जमाबन्दी संवत 2022–25 खाता संख्या 55 व 77 ग्राम माधोगढ़।
5. नकल मिलान क्षेत्रफल [illegible] ग्राम माधोगढ़।
6. नकल जमाबन्दी आधार वर्ष 2005 खाता [illegible] 55 ग्राम माधोगढ़
7. नकल जमाबन्दी आधार वर्ष 2005 खाता [illegible] 252 ग्राम माधोगढ़
8. नकल जमाबन्दी संवत 2048–50 खाता [illegible] ना 217 ग्राम माधोगढ़
9. नकल नक्शा ट्रेस सन् 1939–40 ग्राम माधोग[illegible] प्रतिलिपि दिनांक 20.09.2006
10. नकल नक्शा ट्रेस सन् 1979–80 ग्राम माधोगढ़ प्रतिलिपि दिनांक 14.09.2006

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी जाकर बतौर समाहत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रलेखीय दस्तावेजात्, वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 5/2 से 5/5 के इकबाली जवाब दावा व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के राजीनामा दिनांक 11.05.2022 के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

राजस्व ग्राम माधोगढ़ की जमाबन्दी संवत 2012 (प्रदर्श–1, प्रदर्श–ए–1) के खाता संख्या 119 में दर्ज खसरा नम्बर 427 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि का काश्तकार जगू पुत्र हनुता कौम गूर्जर दर्ज है तथा देवा पुत्र फत्ता छीपीं उपकृषक दर्ज रिकार्ड है। संवत 2014–17 (प्रदर्श–9) के खाता संख्या 120 में भी यही प्रविष्टि दर्ज है। खसरा मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–6) के अनुसार गत खसरा नम्बर 426 व 427 से मिलकर नया खसरा नम्बर 476 रकबा 0.16 हेक्टेयर निर्मित हुआ है। भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा मूल खसरा नम्बर 426 व 427 के कुछ हिस्से को मीन नम्बरों के माध्यम से अन्य खसरा नम्बरों में भी सम्मिलित किया गया है। जमाबन्दी संवत 2059–2062 के खाता संख्या 55 में खसरा नम्बर 476 रकबा 0.16 हेक्टेयर की खातेदारी छोटू वल्द देवा हिस्सा 1/3, राधेश्याम सत्यनारायण बाबूलाल रामनिवास पिता गणपत हिस्सा 1/3, मोहनलाल पुत्र फत्ता हिस्सा 1/3 जाति छीपीं दर्ज रिकार्ड है।

तहसीलदार खेतड़ी के पत्रांक भू0अ0/2015/1225 दिनांक 14–07–2015 के संलग्न पटवारी हल्का माधोगढ़ की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09–07–2015 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 476 रकबा 0.16 हेक्टेयर सम्पूर्ण पर मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त है। संवत 2012 (प्रदर्श–1, प्रदर्श–ए–1) के खाता संख्या 119 में दर्ज खसरा नम्बर 427 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा का वादी का हक पूर्वाधिकारी देवा पुत्र फत्ता छीपीं उपकृषक दर्ज रिकार्ड रहा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 476 रकबा 0.16 हेक्टेयर सम्पूर्ण पर वादी का ही कब्जा काश्त है। वादी की मृत्यु हो चुकी है। अब वाद में वादी संख्या 1/1 लगायत 1/7 पक्षकार है। उभय पक्षकारान में अब राजीनामा हो गया है जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली है तथा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11–05–2022 को प्रतिदावा विड्रा की आवेदन भी ... जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ... प्रतिवादी संख्या 5/2 से 5/5 के इकबाली जवाब दावा के आधार पर वाद का घोषणात्मक अनुतोष वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। प्रकरण में पक्षकारान के राजीनामा की

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

स्थिति के कारण उक्त वाद व वाद संख्या 222/2006 का स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा

—: आदेश :—

अतः वाद संख्या 222/2006 व उक्त वाद का स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पक्षकारान में राजीनामा के कारण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। उक्त वाद संख्या 304/2006 में प्रतिवादी 1 लगायत 4 के राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 5/2 से 5/5 के इकबाली जवाब दावा के आधार पर राजस्व ग्राम माधोगढ़ स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 476 रकबा 0.16 हेक्टेयर से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का व छोटू वल्द देवा (प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/5 के पति/पिता) का नाम हजफ कर उक्त सम्पूर्ण रकबे 0.16 हेक्टेयर का वादीगण संख्या 1/1 से 1/7 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी ★ जिला-झुन्झुनूं (राजस्थान) ★

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:03:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

(मृतक) मोहनलाल
बनाम
सत्यनारायण आदि

दावा बाबत :– **स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955**

मुकदमा नम्बर :– 222/2006 (GCMS NO. 2014/00250)

(मृतक) मोहनलाल
बनाम
सत्यनारायण आदि

दावा बाबत :– **घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955**

मुकदमा नम्बर :– 304/2006 (GCMS NO. 2014/00250)
निर्णय दिनांक :– 08–12–2022

वादी/वादीगण की ओर से **श्री रामनरेश सिंह सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की तथा प्रतिवादी संख्या 5/2 से 5/5 की ओर से **श्री ख्यालीराम सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इन वादों में आज तारीख 08–12–2022 को जय सिंह (आर.ए.एस.) **उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

" वाद संख्या 222/2006 व उक्त वाद का स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पक्षकारान में राजीनामा के कारण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। उक्त वाद संख्या 304/2006 में प्रतिवादी 1 लगायत 4 के राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 5/2 से 5/5 के इकबाली जवाब दावा के आधार पर राजस्व ग्राम माधोगढ़ स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 476 रकबा 0.16 हेक्टेयर से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का व छोटू वल्द देवा (प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/5 के पति/पिता) का नाम हजफ कर उक्त सम्पूर्ण रकबे 0.16 हेक्टेयर का वादीगण संख्या 1/1 से 1/7 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08–12–2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:08:22 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं खेतड़ी
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner